भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4919

23.03.2026 को उत्तर के लिए

मानव-पशु संघर्ष को रोकना

4919. श्री सुनील बोसः
श्री वी. के. श्रीकंदनः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विभिन्न राज्यों में, विशेषकर कर्नाटक के चामराजनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में मानव-पशु संघर्ष बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे संघर्षों के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा निवासियों, उनकी फसलों और पालतू पशुओं को वन्य जीवों के हमलों से बचाने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदम क्या हैं;

(घ) क्या वन्य-जीवों संबंधी कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसे पशुओं को पकड़ने और उन्हें घने जंगलों में वापस भेजने में राज्य वन विभाग को दी गई सहायता और सहयोग का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या यह सच है कि देश में मानव-वन्यजीव संघर्षों को कम करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करना महत्वपूर्ण है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (च) कर्नाटक राज्य सहित देश के विभिन्न हिस्सों से मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं सामने आई हैं। मानव-वन्यजीव संघर्ष के उपशमन सहित वन्यजीवों का प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्यों / संघ राज्य-क्षेत्रों की जिम्मेवारी है। राज्य सरकारें और संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन किसी भी संघर्ष की स्थिति में पहले प्रतिक्रियाकर्ता होते हैं और वे इसमे शामिल प्रजातियों और उनके साथ हुए संघर्ष का विवरण बनाए रखते हैं।

मानव वन्यजीव संघर्ष को मानव आबादी में वृद्धि, औद्योगिक विकास, मानव बस्तियों के विस्तार के साथ-साथ वर्षों से वन्यजीव पर्यावास प्रयासों के संवर्द्धन और संरक्षण के कारण वन्यजीवों की संख्या में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वन्यजीव परिदृश्य और गलियारों में मानव बस्तियों के अतिव्यापन के परिणामस्वरूप मानव-पशु संघर्ष में वृद्धि हुई है जो कि बदलती फसल

पैटर्न, वन सीमावर्ती क्षेत्रों में आवारा कुत्तों और मवेशियों की उपस्थिति आदि से और भी बढ़ गई है। इसके अलावा, पर्यावासों का क्षरण और विखंडन, प्राकृतिक शिकार की कमी, और चराई, जलाऊ लकड़ी संग्रह, घास कटाई और जंगली फलों के निष्कर्षण जैसे वन संसाधनों का निरंतर मानव उपयोग मानव-वन्यजीव संपर्क को और पास-पास करता है, जिससे संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है।

मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. वन्य जीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत पूरे देश में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को कवर करने वाले संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व का एक नेटवर्क बनाया गया है।

ii. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन योजनाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है, जिसमें संबंधित ग्राम सभा के साथ परामर्श अनिवार्य है।

iii. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) (क) राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अधिनियम की अनुसूची-I में आने वाले जानवरों के शिकार के लिए परमिट देने का अधिकार देती है जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हो जाते हैं। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 11 (1) (ख) राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन या किसी अधिकृत अधिकारी को अधिनियम की अनुसूची-II के तहत आने वाले जंगली जानवरों के शिकार के लिए परमिट देने का अधिकार देती है यदि ऐसे जानवर मानव जीवन या संपत्ति के लिए खतरनाक हो गए हैं।

iv. मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने पर दिनांक 6 फरवरी, 2021 को मंत्रालय द्वारा परामर्शी जारी की गयी है। फसलों को नुकसान सहित मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए मंत्रालय ने 3 जून 2022 को राज्यों / संघ राज्य-क्षेत्रों को दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। परामर्शी में समन्वित अंतरविभागीय कार्रवाई, संघर्ष हॉट स्पॉट की पहचान, मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन, त्वरित प्रतिक्रिया टीमों की स्थापना, अनुग्रह राशि की मात्रा की समीक्षा और इसके शीघ्र भुगतान के लिए राज्य और जिला स्तर की समितियों का गठन आदि की सिफारिश की गई है।

v. मानव-वन्यजीव संघर्षों की समस्या का हल करने के लिए सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व दृष्टिकोण अपनाते हुए मंत्रालय ने हाथी, गौर, तेंदुआ, सांप, मगरमच्छ, रीसस मकाक, जंगली सुअर, भालू, नीलगाय और काले हिरण से जुड़े मानव वन्यजीव संघर्षों के उपशमन के लिए दिनांक 21.03.2023 को प्रजाति-विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने मीडिया के साथ सहयोग, मानव-वन्यजीव संघर्ष उपशमन में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और मानव-वन्यजीव संघर्ष स्थितियों से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य आपात स्थितियों को संबोधित करने जैसे बहु-क्षेत्रीय विषयों के लिए दिशानिर्देश भी जारी

किए हैं। इसके अलावा, मानव-हाथी संघर्ष प्रबंधन पर फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए फील्ड मैनुअल भी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। मंत्रालय ने वन्यजीवों पर रैखिक बुनियादी ढांचे पर प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल उपायों पर दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

vi. देश में वन्यजीवों और उनके पर्यावास के प्रबंधन के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं 'वन्यजीव पर्यावास का विकास' और 'बाघ और हाथी परियोजना' के तहत मंत्रालय राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। समर्थित गतिविधियों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की खरीद, जंगली जानवरों को फसल के खेतों में प्रवेश करने से रोकने के लिए कांटेदार तार की बाड़, सौर संचालित बिजली की बाड़, जैव-बाड़, सीमा की दीवार आदि जैसी भौतिक बाधाओं का निर्माण और स्थापना, जंगली जानवरों द्वारा मवेशी उठाने, फसल क्षति, जीवन और संपत्ति के नुकसान सहित जंगली जानवरों द्वारा किए गए नुकसान के लिए मुआवजा शामिल है। वन्यजीवों के स्थान परिवर्तन सहित मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने इन योजनाओं के तहत दिसंबर 2023 में जंगली जानवरों के हमलों के कारण मृत्यु या स्थायी अक्षमता की स्थिति में 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की अनुग्रह राशि बढ़ा दी है, जो निधि की उपलब्धता के अधीन है, और जिसका भुगतान इस संबंध में बनाए गए राज्य विशिष्ट दिशानिर्देशों / प्रावधानों द्वारा भी नियंत्रित है।

विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया हैं:

क्र. सं.	**वन्यजीवों द्वारा किए गए नुकसान की प्रकृति**	**अनुग्रह राहत राशि**
i.	मृत्यु या स्थायी अक्षमता	10.00 लाख रुपए
ii.	गंभीर चोट	2.00 लाख रुपए
iii.	मामूली चोट	इलाज का खर्च प्रति व्यक्ति 25,000 रुपये तक
iv.	संपत्ति/फसलों का नुकसान	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र उनके द्वारा निर्धारित लागत मानदंडों का पालन कर सकती है।

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र मानव-वन्यजीव संघर्षों के कारण होने वाली चोटों सहित पशुधन, फसलों और मानव जीवन की हानि के लिए मानदंडों के अनुसार अनुग्रह राशि का भुगतान करते हैं, जो राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में भिन्न होते हैं।

vii. मंत्रालय वन्यजीव पर्यावास विकास की केंद्र प्रायोजित योजना के प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम घटक के तहत 24 गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे हिम तेंदुआ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

(फ्लोरिकन्स सहित), डॉल्फिन, हंगुल, नीलगिरि तहर, समुद्री कछुए, डुगोंग, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट, एशियाई जंगली भैंस, निकोबार मेगापोड, मणिपुर ब्रो-एंटलर हिरण, गिद्ध, मालाबार सिवेट, भारतीय गैंडा, एशियाई शेर, दलदली हिरण, जर्डन का कोर्सर, उत्तरी नदी टेरापिन, क्लाउडेड तेंदुआ, अरब सागर हंपबैक व्हेल, लाल पांडा, कैराकल, घड़ियाल और स्लॉथ भालू पर केंद्रित प्रजाति संरक्षण का भी समर्थन करता है।

viii. मानव वन्यजीव संघर्ष उपशमन में रेडियो कॉलरिंग, डिजिटल सेंसर वॉल्स और ई-निगरानी जैसी उन्नत तकनीक का भी उपयोग किया जाता है।

ix. मानव-वन्यजीव संघर्ष पर जागरूकता सृजन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए मंत्रालय राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है। राज्य वन विभाग मानव-वन्यजीव संघर्ष के मुद्दों को संबोधित करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ काम करते हैं ताकि समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाकर आम जनता को मानव-पशु संघर्ष के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके, मार्गदर्शन किया जा सके और सलाह दी जा सके, जिसमें विभिन्न प्रकार के मीडिया के माध्यम से जानकारी का प्रसार भी शामिल है। इसके अलावा, राज्य वन विभाग कुछ वन्यजीव प्रजातियों की आवाजाही की निगरानी करने और स्थानीय लोगों को मानव-पशु संघर्ष से बचने, मानव जीवन, संपत्ति और वन्यजीवों के नुकसान या हानि को रोकने के लिए सावधान करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ते हैं। मंत्रालय ने कोयंबटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री (एसएसीओएन), डब्ल्यूआईआई -दक्षिण भारत केंद्र में मानव -वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए भी एक पहल की है।

x. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ण (1) (छ) के अनुसार देश में 32 प्रमुख बाघ गलियारों की पहचान की है। एनटीसीए दिशानिर्देश (2012) और मानक संचालन प्रक्रियाएं बाघ और पर्यावास प्रबंधन का मार्गदर्शन करती हैं। इसी प्रकार, मंत्रालय ने 2023 में देश में 150 हाथी गलियारों की पहचान भी की है। मंत्रालय राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के साथ मिलकर आस-पास के परिदृश्यों में हाथियों के दीर्घकालिक संरक्षण और प्रबंधन को संबोधित करने के लिए क्षेत्रीय कार्य योजना तैयार करता है।
